

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2023/84155/MTH/MATHURA/2219/CFO

दिनांक: 29-05-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **GOVERDHAN VIDYAPEETH** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **KHASRA 329 KHATA 21, MAUJA PADAL, MATHURA** तहसील - **GOVERDHAN** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
GOVERDHAN VIDYAPEETH	3	0	11.59 mt.

तथा प्लॉट एरिया **12180.00 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **GOVERDHAN VIDYAPEETH** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **03-06-2023** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **RAMESH GAUTAM** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **08-06-2023** से **07-06-2026** तक **3** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : In view of the recommendation reports of FSO. The NOC is being issued यह प्रमाण पत्र मानचित्र में इंगित भवन के लिए निर्गत किया जा रहा है फायर उपकरणों का रखरखाव तथा documentation करना आवश्यक होगा, शासनादेश सं0-18/छः-पु0-8-2022/905(34)2016 टी0सी0 गृह (पुलिस) अनुभाग-8 लखनऊ दिनांक-07-1-2022 के अनुपालन में सेटबैक की अनिवार्यता एवं तदनुसार उपलब्धता के सम्बन्ध में निर्णय सम्बंधित सत्ता प्राधिकारी द्वारा प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि(बिल्डिंग बायलाज) के अनुसार लिया जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By

(NARENDRA PRATAP SINGH)

[DD6CB06BD3E6F9ABD467DA98CC4D7C67FC311E26]

08-06-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 08-06-2023

स्थान : MATHURA

प्रेषक:

संजय प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
अग्निशमन तथा आपात सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-8

विषय:- प्रदेश में फायर एन0ओ0सी0(NOC) की वैधता को 03 वर्ष से बढ़ाकर 05 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में।

लखनऊ: दिनांक: 12 नवम्बर, 2025

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-एफ0एस0-1851-2025(53), दिनांक 30.10.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश में फायर एन0ओ0सी0(NOC) की वैधता को 03 वर्ष से बढ़ाकर 05 वर्ष के लिए किये जाने के सम्बन्ध में आख्या प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

- 2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अत्यधिक संवेदनशीलता के दृष्टिगत हॉस्पिटल (इन्स्टीट्यूशनल ऑक्यूपेन्सी) एवं हाई हैजार्ड इण्डस्ट्रियल ऑक्यूपेन्सी/भवनों को छोड़कर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए शेष समस्त भवनों/ऑक्यूपेन्सी के अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्रों की वैधता 03 वर्ष से बढ़ाकर 05 वर्ष किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
- 3- उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली, 2024 में वर्णित शेष नियम व शर्तें यथावत लागू रहेंगी।
- 4- उक्त आदेश उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली, 2024 के नियम-44 में वर्णित निर्देशों के अधीन निर्गत किए जा रहे हैं।

Digitally signed by
SANJAY PRASAD

Date: 12-11-2025

13:27:02

(संजय प्रसाद)

प्रमुख सचिव।